

18-12-25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
में वकील प्रार्थी को विधिसूची 114 व 56 की तलबी
रजिस्टर्डि प. डी. से कि जानें हुए सम्मन पेश करने के
लिए कई अवसर दिये जा चुके हैं। पूर्व में अवसर इस
निर्देश के साथ दिया गया था कि विधिसूची की तलबी
है रजिस्टर्डि सम्मन आज ही पेश करें। अतः प्रा.
पत्र आदेश 09 नि. 05 जा. की से खारिज कर
दिया जावेगा। किन्तु इस निर्देश के परचात भी वकील
प्रार्थी द्वारा सम्मन पेश नहीं किये गये। वकील प्रार्थी
द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने से प्रा.
आदेश 41 नि. 19 व धारा 151 जा. की का आदेश 09
नि. 05 जा. की से खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल नुमा होकर नम्बर से काम हो ~~का~~

22

28

1-7

21-7